न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(76 एल.आर.एक्ट)

अपील सं0 :– 03/2018

उनवान

1. कल्लू पुत्र सरदारा जाति मेव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. सुक्खी पुत्री रेवड़ा पत्नि रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा हाल निवासी सारंगपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
2. पांची पुत्री रेवड़ा पत्नि पून्याराम जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
3. चन्दो पुत्री रेवड़ा पत्नि सेडूराम जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
4. जमना पुत्री रेवड़ा पत्नि रामनिवास जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर हाल निवासी ग्राम जमालपुर उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
5. सुखराम पुत्र लीला जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
6. लल्लू पुत्र लीला जाति जाटव निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा उप तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तहसील अलवर जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री राजबहादुर जांगिड़ अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री आनन्दसिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 6
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 20.09.2018

यह अपील विद्वान जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दि0 28.05.2004 के विरूद्ध इस

20/9/18

न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय में पेश अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 को दिनांक 29.06.1995 को कीमत जमा कराकर दिनांक 28.07.1995 को विवादित आराजी ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का जारी पट्टा न्यायिक, विधि, तथ्यों के एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है । रेस्पो0 सं0 1 ने दिनांक 16.06.2003 को हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के कब्जे काश्त में मजाहमत की और जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये तथा जाहिर किया कि हाल ख0 नं0 362 रकबा 51 ऐयर वाके पृथ्वीपुरा का पट्टा हमने अपने हक में जारी करवाया है । इस पर जानकारी करने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सलाह बाद प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अपील अन्दर मियाद पेश की और आराजी साबिक ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 362 रकबा 51 ऐयर कायम है जो आराजी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 नं0 1 के पिता रेवड़ पुत्र ग्यारसा 1/2 व तरतीबी रेस्पो0 सुखराम व लल्लू पुत्रान लीला के 1/2 भाग के कब्जे काश्त गैर खातेदारी की आराजी है । रेवड़ा व किशनी फौत हो गये जिनके वारिसान अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 काबिज जायदाद हैं । कल्लू रेस्पो0 ने उक्त आराजी को अपने कब्जे हिस्सेदारी की होना बतलाते हुए इसकी कीमत जमा करवाकर पट्टा लेने हेतु तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर के कार्यालय में दि0 01.02.1995 में आवेदन को पेश किया और तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विधि विरुद्ध कीमत राशि जमा कर पट्टा जारी कर दिया जिससे हमारे हकूक जायल होते हैं । तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 चमार हरीजन हैं । हमारी कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी जो कि रेकार्ड से प्रमाणित है और जो शपथपत्र कल्लू रेस्पो0 जो जाति से मेव है के हक में उसका कब्जा होने के बाबत बताये गये हैं वो शपथपत्र शहादत में पढ़े जाने योग्य नहीं हैं । किशनी बेवा रेवड़ा का शपथपत्र जो बतलाया गया है उस किशनी का दिनांक 07.07.1990 को शपथपत्र देने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह रेवड़ा की बेवा है तथा रेवड़ा का इन्तकाल विरासत किशनी के जीवनकाल में ही अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के हक में तस्दीक हो चुका है । ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा कल्लू के हक में विवादित आराजी का जो पट्टा जारी किया गया है वह बिना न्यायिक व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है । चमार जाति के गैर काबिज खातेदार व्यक्तियों का शपथपत्र सवर्ण जाति के व्यक्यिों के हक में कब्जे आराजी के बारे में पढ़ना न्यायसंगत नहीं है । इससे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब करने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आये । तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 28.05.2004 को इस न्यायालय के अपीलांट/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर दी जिस निर्णय दिनांक 28.05.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 28.05.2004 जिसके आधार पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर का आदेश दि0 28.07.1995 पट्टा जो अपीलांट के नाम से दर्ज हुआ उसे निरस्त करने के आदेश दिये जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है जिसमें जिला कलक्टर ने एक तरफा में आदेश पारित किया है । जहां पर अपीलांट को अनुपस्थित दर्ज करके निर्णय पारित किया है । दि0 11.07.2013 को अपील पेश हुई जिसमें दि0 12.08.2013 पहली तारीख पेशी नियत की उस दिन अवकाश घोषित हो गया तथा पत्रावली दि0 13.08.2013 को पेश हुई जिसमें अपीलांट को अनुपस्थित बताया । किसी भी आदेशिका में न तो अनुपस्थिति लिखी न ही पुनः तामील करवायी गयी । अवकाश घोषित होने से गांव के अनपढ़ व्यक्ति कैसे मानेगा कि अगली तारीख लगेगी जबकि तहत न्यायालय को पुनः तामील करवानी चाहिए ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपील में दि0 28.07.1995 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर ने साबिक रकबा हाल ख0 नं0 130 रकबा 5.16 बीघा वर्तमान नम्बर 362 का 51 ऐयर पट्टा जारी किया गया था । सनद जारी करने से पूर्व अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पेश किया । दि0 23.03.1995 को उज्रदारी के लिए नोटिस जारी किये । दि0 1.5.1995 को उज्रदारी के नोटिस गांव की चौपाल में पढ़कर सुनाया गया तथ पंच तथा गावं वालों ने हस्ताक्षर किये । दि0 30.06.1995 को पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कीमत जमा कराने के आदेश दिये तथा दि0 28.07.1995 को उसके बाद पट्टा जारी किया गया तथा इन्तकाल दि0 21.08.1995 को नायब तहसीलदार मालाखेड़ा ने अपीलांट के नाम दर्ज किया तथा सम्वत् 2054 की जमाबन्दी में अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज है । दि0 28.07.1995 से पट्टा मेरे नाम है तथा अपील दि0 11.07.2003 को हुई तो 1995 से 2003 तक रेस्पो0 जानकारी नहीं होना बता रहे हैं । अतः जब खातेदार दर्ज हो जाता है तब आर.टी.एक्ट के नियम लागू हो जाते हैं तथा आर.टी.एक्ट के आधार पर ही सक्षम न्यायालय में दावा दायर करना चाहिए । । रेस्पो0 ने न तो इन्तकाल की अपील की और न ही अपीलांट की खातेदारी को चैलेन्ज किया है । अपीलांट पट्टे की अपील में आये हैं जबकि पट्टे से अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है । पट्टे के निरस्तीकरण से अपीलांट की खातेदारी समाप्त नहीं हो सकती है । अपीलांट सन् 1995 से आदिनांक तक खातेदार है जिसे आज तक चैलेन्ज नहीं किया । तहत न्यायालय में अपीलांट को सुना नहीं गया । तहत न्यायालय का आदेश विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है । आदेश 41 नियम 27 के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनके आधार पर अपीलांट को सुनने का अधिकार मिलना चाहिए ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक का आगे कथन है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा पर अपीलांट का ही शुरू से कब्जा काश्त रहा है । रेस्पो0 के नाम से विवादित आराजी गैर खातेदार के रूप में किसी प्रकार से दर्ज की गई एवं कब दर्ज की गई यह रेस्पो0 के द्वारा नहीं बताया गया । यह आराजी चूंकि कीमतन आवंटन हुई है । इसलिए यह इवेक्यू प्रोपर्टी ऑफ आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के तहत काबिल आवंटन योग्य थी । रेस्पो0 रेवड़ा के वारिसान की मॉ किशनी बेवा रेवड़ा ने दि0 07.07.1990 को शपथपत्र पेश किये और कहा है कि विवादित आराजी पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा रेकार्ड में 1/2 किस प्रकार से हुई, यह उनकी जानकारी में नहीं है । यह भी कहा कि विवादित आराजी कल्लू खां पुत्र सरदारा मेव का शुरू से ही कब्जा काश्त रहा है । यदि यह आराजी कीमतन पट्टे पर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । बहस में कहा कि जब

 20/9/18

रेस्पो0 यह बताने में असफल है तो यह आराजी कस्टोडियन किस प्रकार से प्राप्त हुई है और जो शपथपत्र पेश किये गये हैं उसके आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त मानते हुए उज्रदारी नोटिस जारी कराते हुए कीमत जमा करा करके खातेदारी प्रदान की गई है । आगे कहा कि तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के विपरीत होना बताया, के संबंध में कहा कि प्रथमतयाः यह आराजी कस्टोडियन आराजी है जो कीमत जमा कराने के उपरान्त ही विस्थापित लोगों को प्रावधानों के तहत आवंटन की जाती है । द्वितीय रेस्पो0 विवादित आराजी में केवल गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज है जिनके आधार पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं । बहस में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्वान जिला कलक्टर अलवर ने अपीलांट के पट्टे का निरस्त करके तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर को आदेश प्रदान किये हैं कि इस आराजी पर पुनः रेस्पो0 / अपीलांट को नियमानुसार कीमत जमा करके पट्टा जारी करें तो यह कैसे माना जा सकता है कि यह आराजी धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है । अतः तहत न्यायालय में दिये गये उक्त तर्क कानून सम्मत नहीं है । यह भी कहा कि रेस्पो0 सुखराम व लल्लू ने अपने हलफिया बयान दि0 07.07.1990 में यह माना है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त कल्लू खां पुत्र सरदारा मेव का ही है और उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है । यह आराजी उनको कीमतन दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । तहत न्यायालय ने इन सभी तथ्यों के विपरीत जाकर एक खातेदार के खातेदारी अधिकारों को गलत रूप से समाप्त किया है । बहस में आगे कहा कि माननीय उच्चतर न्यायालयों के कानूनी दृष्टान्तों में आदेश है कि पट्टे या आवंटन के आधार पर यदि एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उसे पट्टे की अपील के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है । उस पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते हैं । इस आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया और तहत न्यायालय का आदेश दि0 28.05.2004 निरस्त करने की इस्तदुआ की । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2014 पेज 685, आर.आर. डी. 1997 पेज 412 व आर.आर.डी. 2007 पेज 102 पेश किये ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अपील पेश होन पर सम्मन जारी हुए हैं । जमादार ने व्यक्तिगत तामील करवायी है जो पत्रावली में है । विवादित आराजी ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का 1/2 भाग सुखराम चमार का है जो सुखराम चमार की गैर खातेदारी में थी । अपीलांट ने अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलकर ख0 नं0 130 का पट्टा लेने के लिए पेश किया तथा जिला कलक्टर की जो पत्रावली तलब की गई उसमें सभी दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, उज्रदारी आदि मिलकर सभी गायब करवा दिये । पत्रावली जिला कलक्टर के पास आने से पहले ही हम प्रमाणित प्रतिलिपि ले चुका था । प्रमाणित प्रतिलिपि से अपील पेश की और उसके आधार पर भी अपील सुनी गयी है । गैर खातेदारी की आराजी को लेने के लिए अपीलांट ने जो अपील पेश की है उसमें कास्टोडियन की खातेदारी का आवेदन किया । पटवारी ने पुस्त पर जो लिखा उस पर सुखराम 1/2 किशनी कौम चमार सा0 गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है । उज्रदारी नोटिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । सारा फर्जीवाड़ा है । पट्टा मिल्लत करके जारी किया है । शपथपत्र फर्जी 1990 में जारी किये व 1995 में पट्टा जारी किया । तहत न्यायालय ने इस फर्जी शपथपत्र के आधार पर मिल्लत करके पट्टा अपीलांट को जारी किया ।

4 4/2/2018

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि मियाद के बिन्दू को तहत न्यायालय ने तय कर दिया । अतः आज अपील में इस बिन्दू को नहीं उठाया जा सकता है । तहत न्यायालय जिला कलक्टर का स्पष्ट निर्णय है । अपीलांट ने इन बिन्दुओं पर बहस नहीं की । आर.टी.एक्ट की धारा 42 के तहत बयनामा, इकरारनामा अवैद्य है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2009 (2) राज0 पेज 899 पेश की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि0 28.05.2004 का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट कल्लू पुत्र सरदारा मेव के मुख्य कानूनी बिन्दू यह है कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त है तथा विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी है जिसका आवंटन इवेक्यू प्रोपर्टी के आवंटन नियम 1963 के नियम के तहत कीमत जमा करके पट्टा प्राप्त कराते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करना है । द्वितीय बिन्दू अपीलांट ने यह भी उठाया कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 किस तरह पर रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज हुए तथा उनके शपथपत्रों के आधार पर विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त नहीं है । तीसरा बिन्दु अपीलांट द्वारा यह लिया गया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर को उक्त आराजी का आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उस पर उज्रदारी नोटिस जारी किया गया । प्रति को ग्राम पंचायत की चौपाल पर प्रदर्शित किया गया । कोई आपत्ति नहीं होने पर कीमतन उक्त आराजी का आवंटन किया गया । उस आधार पर अपीलांट को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है । कानूनी बिन्दु यह है कि आगे इसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और 8 साल बाद अपील करके किस प्रकार पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है यह आराजी आवंटन से पूर्व रेवड़ा जाति जाटव के नाम से 1/2 हिस्से पर गैर खातेदारी में दर्ज थी । 1/2 हिस्सा सुखीराम, लल्लू पिसरान लीला के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज थी । जमाबन्दी सम्वत् 2045 के खाता सं0 406 में ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का अंकन है । इसी जमाबन्दी में खाता सं0 347 रेवड़ पुत्र मांग्या चमार सा0देह के नाम से दर्ज है । उक्त जमाबन्दी में एक स्थान पर रेवड़ पुत्र मांग्या है और इसी जमाबन्दी में रेवड़ पुत्र ग्यारसा दर्ज है और दोनों की विरासत किशनी बेवा रेवड़ के नाम से दर्ज है । विवादित आराजी व कब्जा काश्त के संबंध में शपथपत्र और आवेदन पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि कब्जा काश्त तत्काल समय में कल्लू पुत्र सरदारा मेव का था और इसी आधार पर उज्रदारी नोटिस जारी कर आपत्ति प्राप्त करते हुए और शपथपत्र के आधार पर यह आराजी कीमतन इवेक्यू प्रोपर्टी के आवंटन नियम 1963 के तहत आवंटित की गई है जिसके आधार पर 1995 में खातेदारी प्रदान की गई है । अतः कस्टोडियन भूमि पर गैर खातेदारी के इन्द्राजों के आधार पर यहां टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान नियमानुसार मान्य नहीं है । अतः इस संबंध में अभिभाषक रेस्पो0 का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि इसमें धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन हुआ है । जहां तक तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रश्न है । अपीलीय न्यायालय में पत्रावली पेश करने पर आदेशिका या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाये हैं । इससे अपीलांट के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । तहसीलदार कम मैनेजिंग

 20/9/18

ऑफिसर द्वारा प्रेषित पत्रावली में कल्लू पुत्र सरदारा मेव का उक्त आराजी ख0 नं0 130 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा को कीमतन आराजी का प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है जो दिनांक 01.03.2015 को प्रदर्शित किया गया है । पटवारी हल्का ने रेकार्ड का हवाला देते हुए कब्जा काश्त के संबंध में दि0 23.03.1995 को रिपोर्ट प्रेषित की है तथा कार्यालय की पत्रावली 166/28.07.1995 में उज्रदारी नोटिस जारी करने, जमीन कीमतन आवंटन करने की आपत्ति पेश नहीं होने और कीमतन राशि जमा कराने के आदेश कार्यालय की टिप्पणी पर अंकित हैं । दोनों शपथपत्र कब्जे बाबत मु0 किशनी बेवा रेवड़ सुखराम, लल्लू पुत्र लीलाराम पत्रावली में संलग्न मिसल हैं । इनके आधार पर कस्टोडियन आराजी का जो आवंटन किया गया है उससे अपीलांट को खातेदारी अधिकार उक्त आराजी पर प्राप्त हो चुके हैं । अतः अपील के माध्यम से कीमतन आवंटन खातेदारी आराजी का खातेदारी अधिकार समाप्त करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । जहां तक रेस्पो0 अभिभाषक का कानूनी बिन्दु कि उक्त आराजी में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के प्रावधानों के उल्लंघन होने का प्रश्न है । इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि उक्त आराजी कस्टोडियन आराजी है जिसका निस्तारण कीमत जमा कराते हुए आवंटन प्राप्त करने से होता है । रेस्पो0 विवादित आराजी पर किस तरह से गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हुए उनके द्वारा यह नहीं बताया गया तथा कब्जा के संबंध में उनके हलफनामा जो गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किशनी बेवा रेवड़, सुखराम, लल्लू पि0 लीलाराम के गलत होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । उज्रदारी नोटिस पत्रावली के आधार पर जारी किये गये हैं जिसमें कोई आपत्ति नहीं की गई है । इस आधार पर कस्टोडियन की आराजी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के प्रावधानों के तहत नहीं माना जा सकता है । अतः जिस कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2009 पेज 899 रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा पेश की गई है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य होने से तहत न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 23.05.2004 निरस्त किया जाता है । आदेश से पूर्व के खातेदारी के इन्द्राजों को यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर